



तरुण छत्तीसगढ़

■ रायपुर, सोमवार 16 दिसंबर 2024 ■ पौष कृष्ण पक्ष-1 ■ वर्ष- 40 ■ अंक-256 ■ पृष्ठ-8 ■ डाक संस्करण 17 दिसंबर 2024 ■ मूल्य 1.00 रु.

E-mail:
tarunpressraipur@gmail.com
tarun_press@yahoo.co.in

Web:
www.tarunchhattisgarh.in
facebook.TarunChhattisgarh
Twitter - Tchhattisgarh36
Instagram - tarunchhattisgarh.raipur

phone: 0771-2543112

संक्षेप

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

बलरामपुर, 16 दिसंबर। जिले के कोटवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जारी गांव के पास आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। चारों मुर्गी गार्फ घास और अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल को तलाक ऐबुलेस से जिला कित्सलान भेजा गया, जहां घायल का इलाज जारी है। मौके पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, वाहन की पहचान मिहंद्र पैकारा और घायल व्यक्ति की पहचान नमन लकड़ा के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रक्रम दर्ज कर जांच जुटी हुई है।

फांसी पर लटकी मिली

छात्रा की लाश

बिलासपुर, 16 दिसंबर। बिलासपुर के सरकांडा क्षेत्र में रहने वाली छात्रा धर पर फासी के फैदे पर लटकी मिली, परिजन उसे फैदे से उतारकर अपने हाँस्टिल लेकर पहुंचे। जहां डाकघर ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर सरकांडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की शुश्राओं ने घायल को तलाक ऐबुलेस से जिला कित्सलान भेजा गया, जहां घायल का इलाज जारी है। मौके पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, वाहन की पहचान मिहंद्र पैकारा और घायल व्यक्ति की पहचान नमन लकड़ा के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रक्रम दर्ज कर जांच जुटी हुई है।

फांसी पर लटकी मिली

छात्रा की लाश

बिलासपुर, 16 दिसंबर। बिलासपुर के सरकांडा क्षेत्र में रहने वाली छात्रा धर पर फासी के फैदे पर लटकी मिली, परिजन उसे फैदे से उतारकर अपने हाँस्टिल लेकर पहुंचे। जहां डाकघर ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर सरकांडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की शुश्राओं ने घायल को तलाक ऐबुलेस से जिला कित्सलान भेजा गया, जहां घायल का इलाज जारी है। मौके पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, वाहन की पहचान मिहंद्र पैकारा और घायल व्यक्ति की पहचान नमन लकड़ा के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रक्रम दर्ज कर जांच जुटी हुई है।

विरोध के बाद भी नेहरू ने संविधान में कई बदलाव किए: सीतारामण

नई दिल्ली, 16 दिसंबर। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठा।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटों की सम्पत्ति के बाद उड़े बाहर निकला है। घटना में ड्रॉग और बारों द्वारा तोहने जारी रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में छह लोगों की तलाक मौत हो गई। हादसे को लेकर एसपी अशोक जोशी ने बताया कि घटना के बाद से घायल हो गए।

जिसमें प्रेस की आजादी भी छोड़ी गई,

और अगर सरकार 400 से अधिक सीटें जीतती,

तो चर्चा का विषय : संविधान को बदलना बन्या

आवश्यक है। होता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

लोकसभा का कार्रवाईतात 6 साल कर दिया। पूर्व पक्ष को जेल भेज दिया।

इसके बाद यह सब बदलाव हुआ। क्या

यह सही तरीका था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट

ने कायन्सिट परिवाक्रोंपैस रॉड्स और

आरएसएस की पांचिका +अंगैन्जिज+ के

पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इसके बाद तलातीन अंतरिम सरकार ने इनके स्वतंत्रता पर अक्षुश लाना के लिए संविधान में किया गया।

निर्मला सीतारामण ने बहस के बाद भी जारी रही है। उन्होंने कहा कि विरोध के बाद

जिसमें प्रेस की आजादी भी शामिल थी। कायेस

पर हमला करते हुए निर्मला सीतारामण ने

इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, +कायेस ने

नियमों का उल्लंघन करते हुए कौनून बदला और

लोकसभा का कार्रवाईतात 6 साल कर दिया।

इसके बाद यह सब बदलाव हुआ। क्या

यह सही तरीका था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट

ने कायन्सिट परिवाक्रोंपैस रॉड्स और

आरएसएस की पांचिका +अंगैन्जिज+

के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इसके बाद तलातीन अंतरिम सरकार ने इनके स्वतंत्रता पर अक्षुश लाना के लिए संविधान में कई बदलाव किए।

जिसमें प्रेस की आजादी भी शामिल थी। कायेस

पर हमला करते हुए निर्मला सीतारामण ने

इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, +कायेस ने

नियमों का उल्लंघन करते हुए कौनून बदला और

लोकसभा का कार्रवाईतात 6 साल कर दिया।

इसके बाद यह सब बदलाव हुआ। क्या

यह सही तरीका था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट

ने कायन्सिट परिवाक्रोंपैस रॉड्स और

आरएसएस की पांचिका +अंगैन्जिज+

के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इसके बाद तलातीन अंतरिम सरकार ने इनके स्वतंत्रता पर अक्षुश लाना के लिए संविधान में कई बदलाव किए।

जिसमें प्रेस की आजादी भी शामिल थी। कायेस

पर हमला करते हुए निर्मला सीतारामण ने

इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, +कायेस ने

नियमों का उल्लंघन करते हुए कौनून बदला और

लोकसभा का कार्रवाईतात 6 साल कर दिया।

इसके बाद यह सब बदलाव हुआ। क्या

यह सही तरीका था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट

ने कायन्सिट परिवाक्रोंपैस रॉड्स और

आरएसएस की पांचिका +अंगैन्जिज+

के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इसके बाद तलातीन अंतरिम सरकार ने इनके स्वतंत्रता पर अक्षुश लाना के लिए संविधान में कई बदलाव किए।

जिसमें प्रेस की आजादी भी शामिल थी। कायेस

पर हमला करते हुए निर्मला सीतारामण ने

इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, +कायेस ने

नियमों का उल्लंघन करते हुए कौनून बदला और

लोकसभा का कार्रवाईतात 6 साल कर दिया।

इसके बाद यह सब बदलाव हुआ। क्या

यह सही तरीका था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट

ने कायन्सिट परिवाक्रोंपैस रॉड्स और

आरएसएस की पांचिका +अंगैन्जिज+

के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इसके बाद तलातीन अंतरिम सरकार ने इनके स्वतंत्रता पर अक्षुश लाना के लिए संविधान में कई बदलाव किए।

जिसमें प्रेस की आजादी भी शामिल थी। कायेस

पर हमला करते हुए निर्मला सीतारामण ने

इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, +कायेस ने

नियमों का उल्लंघन करते हुए कौनून बदला और

लोकसभा का कार्रवाईतात 6 साल कर दिया।

इसके बाद यह सब बदलाव हुआ। क्या

यह सही तरीका था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट

ने कायन्सिट परिवाक्रोंपैस रॉड्स और

आरएसएस की पांचिका +अंगैन्जिज+

के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इसके बाद तलातीन अंतरिम सरकार ने इनके स्वतंत्रता पर अक्षुश लाना के लिए संविधान में कई बदलाव किए।

